BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ- 226025.
BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
(A Central University)
Vidaya Vihar Rae Bareli Road, Lucknow-226025

पत्र संख्या. HIN45333-L /हि.प्र./बीबीएयू/2026

दिनाक. 01/ 07/2026

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सूचना मंत्रालय को भेजने के लिए सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सूचना प्रत्येक तिमाही में शिक्षा मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग एवं गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को भेजनी होती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने संकाय/ विभाग/ अनुभाग/ कार्यालय से संबंधित 01 **अप्रैल**, 2026 से 30 **जून**, 2026 तक की तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में भरकर **10** जुलाई, 2026 तक हिंदी प्रकोष्ठ में प्रेषित करें, जिससे कि इसे संकलित कर समेकित रूप में शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजभाषा अनुभाग और गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को भेजा जा सके। ज्ञात हो कि यह रिपोर्ट समयबद्ध होती है।

इसलिए अनुरोध है कि रिपोर्ट अविलम्ब हिंदी प्रकोष्ठ को भेजने की कृपा करें।

6/7/26
कुलसचिव

वितरणः- निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित-

1 अनुभाग अधिकारी, माननीय कुलपति महोदय, बीबीएयू, लखनऊ।
2. निजी सचिव-कुलसचिव, बीबीएयू, लखनऊ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/ समन्वयक/ प्रभारी, बीबीएयू, लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक/ पुस्तकालयाध्यक्ष, बीबीएयू, लखनऊ।
5. कुलानुशासक/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/ अधिशाषी अभियंता, बीबीएयू, लखनऊ।
7. समस्त उप-कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव/ अनुभाग अधिकारी/ समस्त छात्रावास, बीबीएयू, लखनऊ।
8. विश्वविद्यालय वेबसाइट, बीबीएयू, लखनऊ।

सहायक निदेशक (रा.भा.)

दिनांक----------

----------संकाय/विभाग/अनुभाग/कार्यालय

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

* मद सं. 01 से 10 तक की सूचनाएं सभी संकाय/विभाग/अनुभाग द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाए।

* क, ख व ग क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है।

---------- को समाप्त तिमाही की हिंदी प्रगति रिपोर्ट निम्नानुसार है-

1. हिंदी में भेजे गए कुल पत्रों की संख्या - 'क' क्षेत्र को ..... 'ख' क्षेत्र को ..... 'ग' क्षेत्र को .....
2. अंग्रेजी में भेजे गए कुल पत्रों की संख्या - 'क' क्षेत्र को ..... 'ख' क्षेत्र को ..... ग' क्षेत्र को .....
3. हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या- 'क' क्षेत्र से .....'ख' क्षेत्र से .....'ग' क्षेत्र से .....
4. उपरोक्त हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की संख्या हिंदी में ..... अंग्रेजी में.....
5. अंग्रेजी में प्राप्त कुल पत्रो की संख्या- 'क' क्षेत्र से ..... 'ख' क्षेत्र से ..... 'ग' क्षेत्र से .....
6. उपरोक्त अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर की संख्या हिंदी में ..... अंग्रेजी में.....
7. फाइलों पर लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या - हिंदी में ..... अंग्रेजी में.....
8. धारा 3(3) के तहत जारी किए गए कागजात की संख्या - ----------
9. कार्यालय में प्रयोग होने वाली रबड़ के मोहरों की संख्या- हिंदी में ..... अंग्रेजी में.....द्विभाषी .....
10. कार्यालय में प्रयोग होने वाले रजिस्टरों की संख्या - हिंदी में ..... अंग्रेजी में.....द्विभाषी .....

संकाय/विभाग/ अनुभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

सहायक निदेशक (राजभाषा)

भाषाई आधार पर 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में बांटे गए राज्य

'क' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य: बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रवेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।

'ख' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य: गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब चंडीगढ़ दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली।

'ग' क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य: 'क' और 'ख' क्षेत्र के अतिरिक्त शेष सभी राज्य।

राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) के तहत आने वाले कागजात

1- सामान्य आदेश-ऐसे सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश जो स्थायी प्रकार के हों और कर्मचारियों के समूह के लिए जारी किये जा रहें हों। साथ ही ऐसे सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोजन के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों 2- अधिसूचनाएं (नोटिफिकेशन) 3-प्रेस विज्ञप्तियाँ/टिप्पिणयां 4- संविदा (कांट्रैक्ट) 5- करार (एग्रीमेन्ट) 6- लाइसेन्स 7- परमिट 8- टेंडर फार्म एवं नोटिस 9- संकल्प (रेजाल्यूशं) 10- नियम 11- संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकारी कागज 12- प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट आदि।